सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

अधिकारी – हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
संख्या– 70/2017

जसिह पुत्रश्री गरीबा जाति जाटव निवासी ग्राम जारोली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
– – – – वादी

बनाम

1. श्री भगवानसिह 2–श्री खिलौनसिह 3–श्री दीवानसिह 4–श्री कैलाशी पुत्रगण स्व0 रामस्वरूप जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

––––– प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,दुरूस्ती
इन्द्राज एंव इम्तनाई दवामी

उपस्थिति –
1–श्री हजरत खॉ एडवोकेट ....(वादी)

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

निर्णय   दिनांक: 28.03.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह दावा वादी द्वारा पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2309/305 स्थित वाके ग्राम नया नगला मजरा दौनारी तहसील सैपऊ के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्व पुरूष स्व0 रामस्वरूप पुत्रश्री टुण्डा जाति चमार निवासी ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ में जिन्हौने अपने जीवनकाल क विवादित अराजी निहित स्वंय के अधिकारी खातेदारी का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.06.1984 को मुवलिंग 4500/– में वादी के पिता स्वंय गरिबा पुत्रश्री गुरूदयाली जाति जाटव निवासी जारोली के पक्ष में कर दिया एंव कब्जा व दखल स्वंयं के समान मौके पर करा दिया । तभी से वादी के पिता विवादित कृयशुदा कृर्षि भूमि पर एकान्तिक रूप से काविज होकर निरन्तर निर्विवाद रूप से अपने जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे। जिनका देहान्त स्वीााविक रूप से दिनांक 25.10.1997 को हो चुका है। जिन्हौने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र वादी तेजसिह को छोडा है जो तभी से विवादित भूमि पर काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है एंव वर्तमान मे भी कर रहा है।

वादी के पिता अनपढें लिखे मजदूर पैशा व्यक्ति थे जिन्हौने तत्कालीन हल्का पटवारी को उक्त विक्रय पत्र को वास्ते नामा0 स्वीकार करने हेतु दे दिया और पटवारी द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया था की नामान्तकरण स्वीकार कर दिया गया है जिससे वादी के पिता आश्वस्त रहे राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण ना तो स्वीकार किया और ना ही प्रविष्टी अंकित की थी।

प्रतिवादी के पूर्व पुरूष स्व0 रामसवरूप पुत्र टुण्डा का निधन भी काफी समय पूर्व हो चुका है जिन्होन अपने उत्तराधिकारीगण के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को छोडा है। जिन्हौने उनका समस्त तर्का प्राप्त किया है जिससे विवादित कृर्षि भूमि के राजस्व अभिलेख में विरासतन प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण अवैद्य रूप से चुपचाप बिना किसी प्रकार की सूचना के वादी एवं उनके पिता स्व0 गरीवा को दिये बिना राजस्व कर्मचारियो

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

करते हुये करा लिया गया जो वादी के विरूद्व शून्य एंव निष्प्रभावी है जिसे चैलेन्ज करने विधिक रूप से अधिकारी है।

दित आराजी में निहित स्वत्व एवं अधिकार खातेदारी का पूर्व में विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वादी के पिता स्व0 गरीबा के पक्ष में करने एवं कब्जा व दखल केता के देने के उपरान्त सत का नामान्तकरण प्रतिवादी गण संख्या 1लगायत 4 के पक्ष में अवैध एवं शून्य है जो स्तनीय है

प्रतिवादी गण संख्या 1लगायत 4 15 दिवस पूर्व विवादित आराजी पर आये एवं वादी को काश्त करने से रोका जिस पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादी गण ने वादी को जबरन बल पूर्वक बेदखल करने की एवं अन्यत्र प्रभावशाली व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी एवं कथन किया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 4 की प्रविष्टियां अंकित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 दिनांक 16.05.2018 को न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में उपस्थित आये। इसके वाद अदालत में कभी भी उपस्थित नही आये । अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व दिनांक 17.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दस्तावैजी साक्ष्य के रूप में अपने पिता के नाम रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.06.1984 प्रदर्श 1 पेश की है एवं नकल जमावन्दी संवंत 2070–73 वाके ग्राम नया नगला प्रदर्श 2 पेश की है तथा ग्राम पंचायत पिपहेरा द्वारा प्रमाणित शिजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 के रूप में प्रस्तुत किये है।

अतः हमने एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नम्बर 2309/305 स्थित वाके ग्राम नया नगला तहसील सैफ़्क़ पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के स्थान पर वादी नाम मुताबिक बयनामा अंकित करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 2309/305 स्थित वाके ग्राम नया नगला तहसील सैफ़्क़ में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम विलोपित कर इनके स्थान पर वादी श्री तेजसिह पुत्रश्री गरीबा जाति जाटव निवासी जारोली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत बेजा नही करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ